**<u>न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सरमथुरा, धौलपुर</u>**

पीठासीन अधिकारी :– अजय कुमार शर्मा–III, आर.जे.एस.
*<u>''अतिरिक्त कार्यभार''</u>*

फौज॰ प्र॰ संख्या :– 114 / 2022
एफ.आई.आर. संख्या – 95 / 2011 थाना सरमथुरा
तारीख दायरा – 01.06.2011
सीआईएस संख्या – 4975 / 2015
सी.एन.आर. संख्या – RJDH170000332015

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी ..अभियोगी

**<u>बनाम</u>**

1. गोरे लाल पुत्र ललई निवासी सौंहा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर
*(मृत्यु कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 28.09.16)*
2. महावीर पुत्र चिरौंजी निवासी इब्राहिमपुर थाना बाड़ी हाल विजयपुरा जिला धौलपुर
*( मफरूर दिनांक 14.12.21)*
3. प्रेमसिंह पुत्र बीरवल निवासी सौंहा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर
4. रूपसिंह उर्फ रूपा पुत्र चिरौजी निवासी इब्राहिमपुर थाना बाड़ी हाल विजयपुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर
5. रमुजी पुत्र गजुआ निवासी वयअर हाल सौंहा का अडडा विजयपुरा थाना सरमथुरा

**<u>.....अभियुक्तगण</u>**

**<u>अंतर्गत धारा 447 भा.दं.स. व 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984</u>**

<u>उपस्थितिः–</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी .....राज्य की ओर से ।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री भगवानसिंह गुर्जर..... अभियुक्तगण की ओर से।

**–: निर्णय :–** <u>दिनांक :–17.06.2023</u>

1. यह पत्रावली माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक 135 दिनांक 01.08.2022 की पालना में न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बाड़ी के यहां से अंतरित होकर हस्तगत न्यायालय को विधिवत सुनवाई हेतु प्राप्त होकर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि श्री शिवसिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़ी ने पुलिस थाना सरमथुरा के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 11.03.2011 को इस आशय की दर्ज की गयी कि राजस्थान सरकार वन विभाग को आरक्षित वन भूमि वन खण्ड रमधा बी जो कि मौजा बांसरई के अंतर्गत आता है। इस वन खण्ड में खसरा नंबर 1284, 1295 (इन दोनों का वन विभाग नक्शा में सम्मिलित दर्शाया हुआ है। ) 1287 1288 के बाबत जांच करने पर ज्ञात हुआ कि इन खसरा नंबरान की वन भूमि पर अतिक्रमी प्रेमसिंह, रमुजी, रूपसिंह द्वारा राजकीय सम्पत्ति पक्के बाउन्ड्री पिलर्स को तोड़कर सीमा में परिवर्तन कर अतिक्रमण कर लिया है। इन खसरा नंबरान से सटे वन भूमि के खसरा नंबर 1294 में उक्त प्रेमसिंह व रमुजी द्वारा अन्य लोगों के सहयोग से अस्थाई खिरकारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। कार्यवाही करने जब भी वनकर्मी जाते हैं तो उक्त अतिकर्मियों व उनके परिजनों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। जिससे स्टॉफ भयभीत होकर कार्यवाही नहीं कर पाता है..... इत्यादि पर संबंधित थाना पर प्राथमिकी संख्या–95/2011 अंतर्गत धारा 447 भा.दं.सं. व 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसपर न्यायालय द्व ारा उक्त अपराध बाबत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अन्वीक्षा प्रारंभ की गयी।

3. आरोप पूर्व बहस सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 447 भा.दं.सं. व 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के आरोप पृथक से लिखित में विरचित कर सुनाये–समझाये गये तो अभियुक्तगण ने सुन व समझकर इंकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन साक्ष्य में पी.ड.1 गुलाबसिंह, पी.ड.2 सुरेश सिंह, पी.ड.3 सरदार सिंह, पी.ड.4 जयसिंह, पी.ड.5 रनवीर सिंह, पी.ड.6 राजवीर, पी.ड.7 योगेश कुमार, पी. ड.8 कप्तानसिह, पी.ड.9 रूपसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को साक्ष्यगत करवाया गया–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श पी.1 | नक्शामौका |
| 2. | प्रदर्श पी.2 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम प्रेमसिंह |
| 3 | प्रदर्श पी.3 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रमुजी |
| 4 | प्रदर्श पी.4 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रूपा |
| 5 | प्रदर्श पी.5 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम महावीर |
| 6 | प्रदर्श पी.6 | फर्द गिरफ्तारी मुलजिम गोरेलाल |

7 प्रदर्श पी.7 पुलिस बयान कप्तानसिंह

5. अभियोजन की साक्ष्य उपरांत अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 द0प्र0स लिये गये तो अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि पत्रावली पर मौजूदा सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों की संदेह से परे पुष्टि होती है। अतः अभियुक्तगण को नियमानुसार दण्डित किया जावे। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिये गये कि मौके के महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। जहां स्वयं वनकर्मियों द्वारा घटनास्थल पर सीमेंटिड अतिक्रमण होना बताया है, वहीं पत्रावली पर मौजूद तहरीरी रिपोर्ट में केवल अस्थाई अतिक्रमण होने की बात कही गई है। यह भी कि प्रकरण में मुस्तगीस को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया एवं जिस वन भूमि के खसरा नंबर पर आरोपीगण द्वारा दीवाल तोड़कर अतिक्रमण किये जाने की बात कही गई है। उस भूमि के संबंध में ना तो किसी राजस्व अधिकारी को पेश कर परीक्षित कराया गया ना ही ऐसा कोई दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। जिससे यह प्रकट हो कि मौके की भूमि वन विभाग के कब्जे की हो। पत्रावली पर एक भी ऐसा दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आरोपीगण द्वारा अतिक्रमण करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कारित किया गया हो। फलस्वरूप अभियुक्तगण दोषमुक्ति के पात्र है।

7. बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु मुख्य बिन्दु यह है कि –

**''क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 11.03.2011 को या उससे पूर्व किसी समय मौजा बांसरई स्थित राजस्थान सरकार वन विभाग के आरक्षित भूखण्ड के खसरा नंबर 1284 1295 जो कि वन विभाग के कब्जे की सम्पत्ति है, में अनाधिकृत प्रवेश कर अतिक्रमणप्रवेश कर बाउण्ड्री पिलर्स को तोड़कर राजकीय सम्पत्ति की क्षति कारित की?''**

यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड के भागी है?

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में कुल 09 गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया है। जिसमें गवाह पी.ड.1 गुलाबसिंह, पी.ड.2 सुरेशसिंह, पी.ड.3 सरदार सिंह, पी.ड.4 जयसिंह, पी.ड.5 रनवीर सिंह जो कि तत्कालीन समय वनकर्मी होकर अपनी मुख्य परीक्षा में मौके पर जाना बताते हुए वनखण्ड रमधा मौजा बांसरई के

खसरा नंबर 1284, 1295, 1294 में आरोपीगण द्वारा अतिक्रमण करते हुए वन विभाग की दीवाल को तोड़कर सीमेंन्टेड खिरकारी की व अस्थाई अतिक्रमण होना बताया। जहां तहरीरी रिपोर्ट में आरोपीगण द्वारा अस्थाई खिराकारी बनाने की बात कही गई वहीं गवाह पी.ड.4 जयसिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान ही सीमेन्टेड टीन की खिरकारी होने की बात न्यायालय के समक्ष दर्ज करायी जो कि तहरीरी रिपोर्ट के विरोधाभासी है। साथ ही प्रकरण में परीक्षित अनुसंधान अधिकारी पी.ड.9 रूपसिंह द्वारा अपनी जिरह के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि जिस भूमि पर अतिक्रमण का मामला था उसके संबंध में हल्का पटवारी सहित तहसीलदार के बयान उसके द्वारा दर्ज नहीं किये गये और ना ही ऐसा कोई रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। यद्यपि इस गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान सहायक बंदोबस्त अधिकारी से वन विभाग का रिकॉर्ड लेकर शामिल पत्रावली करना बताया एवं ऐसे दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद है, किंतु अभियेाजन पक्ष द्वारा ऐसे दस्तावेजात को प्रदर्शित नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त वन भूमि तथाकथित खसरा नंबर 1284, 1294 व 1295 पर आरोपीगण द्वारा वन विभाग की दीवाल को तोडकर स्थाई/अस्थाई निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में गवाहान द्वारा भिन्न–भिन्न आरोपीगण की ओर से अतिक्रमण किया जाना बताया गया एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड स्थानीय राजस्व अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपीगण द्वारा वन भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया गया हो अथवा वन विभाग की दीवाल तोडकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किया गया हो। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित एक भी गवाहान द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन नहीं किया गया कि आरोपीगण द्वारा ही वन विभाग की दीवाल को तोड़ा गया हो। यहां तक कि गवाह पी.ड.8 कप्तान सिंह जो कि तत्समय वनकर्मी होकर मौके पर जाने बाबत अनुसंधान के दौरान कथन दर्ज कराये किंतु न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से विवादित खसरा नंबर पर आरोपीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कब्जा या अतिक्रमण किये जाने से साफ इंकार किया गया। ऐसे में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी बाबत परीक्षित गवाह पी. ड.6 राजवीर, पी.ड.7 योगेश कुमार मात्र औपचारिक साक्षी प्रतीत होते हैं। फलस्वरूप मुस्तगीस के न्यायालय में पेश कर परीक्षित नहीं कराये जाने से एवं ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं होने कि आरोपीगण द्वारा वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए वन विभाग की दीवाल को तोड़कर सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान किया हो एवं किसी प्रकार का निर्माण कर अतिक्रमण किया हो। तब आरोप प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा। फलस्वरूप अभियुक्तगण प्रेमसिंह, रूपा उर्फ रूपसिंह,

रमुजी धारा 447 भा0द0स0 एवं 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के आरोप से दोषमुक्ति के पात्र हैं।

**–: आदेश :–**

09. परिणामतः अभियुक्तगण 1. प्रेमसिंह पुत्र बीरवल निवासी सौंहा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर 2. रूपसिंह उर्फ रूपा पुत्र चिरौजी निवासी इब्राहिमपुर थाना बाड़ी हाल विजयपुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर 3. रमुजी पुत्र गजुआ निवासी वयअर हाल सौंहा का अडडा विजयपुरा थाना सरमथुरा को धारा 447 भा.दं.सं. व 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के आरोप से साक्ष्याभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण की ओर से धारा 437ए सी.आर.पी.सी. के तहत अपील/रिवीजन आदि की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष उपस्थिति बाबत् 10–10 हजार रूपये के जमानत एवं मुचलके पूर्व में पेश किये गये। प्रकरण में कोई माल वजह सबूत जब्त नहीं है। प्रकरण में अभियुक्त गोरेलाल की मृत्यु पर उसके विरूद्ध विचारण कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है। प्रकरण में अभियुक्त महावीर मफरूर है। अतः पत्रावली के सरवरक पर लाल स्याही से नोट लगाया जावे कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(अजय कुमार शर्मा–III)

10. निर्णय व आदेश आज दिनांक 17 जून 2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजय कुमार शर्मा–III)